

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं. 222/2025

उनवानी :- रिसाल सिंह बनाम प्रताप सिंह व अन्य

दिनांक	फर्द अहकाम
10.03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए मुकदमा को आगे चलाना नहीं चाहते विद्द्रो कर मुकदमा को NOT PRESS में खारिज कराना चाहते हैं। अतः मुकदमा नं. 222/2025 उनवानी रिसाल सिंह बनाम प्रताप सिंह व अन्य दावा बाबत् तकास्मा व इस्तकरार हक व हुक्म इक्तनाई दबामी को NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p>(हेमराज गुर्जर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>